न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—144 सन् 2017

रहमत अली ....वादी।

बनाम

म0 माहेसीन वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 12.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख आवेदकगण की ओर से आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 07.06.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदकगण का आवेदन में कथन है कि इस वाद का वादी रहमत अली दिनांक 02.04.2023 को अपनी विधवा पत्नी, छः पुत्र एवं दो लड़की को छोड़कर मर गए हैं, जिनका नाम आवेदन में लिखित है। वादी रहमत अली के मृत्यु के पश्चात् उनका नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन का स्वीकार कर उक्त वाद से वादी का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी रहमत अली थे जिनकी मृत्यु दिनांक 02.04.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। आवेदनगण उन्हीं के कानूनी वारिसान हैं। आवेदकगण वादी रहमत अली का नाम अर्जीदावी से कलमजद करने तथा उनके स्थान पर प्रतिस्थापित होने हेतु आवेदन दाखिल किए हैं। आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.06.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।